राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–519/2024

गिर्राज प्रसाद मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, दौसा।
4. श्री सुशील कुमार गुर्जर, सहा.लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम, अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, दौसा

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 25.10.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं.4 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी जो सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर कार्यरत है, का स्थानान्तरण अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी को जिस स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है, वहां सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम का पद नहीं है। बल्कि सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को निम्नतर पद पर पदस्थापित किया गया है, जो राजस्थान सेवा नियम,1951 के नियम–20 के विपरीत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के अन्य आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 जो सहायक लेखा

अधिकारी ग्रेड–द्वितीय के पद पर है, उनका स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा किया गया है। चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश उचित नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण किया जाना भी उचित नहीं है, अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम के पद पर आदेश दिनांक 03.02.2023 को हुई थी और अपीलार्थी को पदोन्नति के फलस्वरूप उसके वर्तमान स्थान पर ही अस्थायी रूप से सहायक लेखा अधिकारी, ग्रेड–प्रथम के पद पर क्रमोन्नत पद होना मानते हुए अपीलार्थी ने उसी स्थान पर पदोन्नति का पद प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार अपीलार्थी वर्तमान में पदोन्नति पद पर ही कार्य कर रहा है। अपीलार्थी को निम्नतर पद पर स्थानान्तरित किया जाना उचित नहीं है।

3. निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम का पद धारण करता है एवं अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा में सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम का पद न होकर सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय का स्थायी पद है, जिस पर निजी प्रत्यर्थी को नियमानुसार पद अनुसार स्थानान्तरित किया गया है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय का भी पद धारण करता है। अपीलार्थी की चूंकि पदोन्नति हो चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्य पद पर किया गया था। निजी प्रत्यर्थी को उसी के पद पर अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा में पदस्थापित किया गया था, जिस आदेश की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने कार्य ग्रहण भी कर लिया था।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को जिस स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है, वह सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय का पद है, जबकि अपीलार्थी सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–प्रथम का पद धारण करता है। अपीलार्थी को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा में निम्नतर पद पर स्थानान्तरित/ पदस्थापित किया जाना उचित नहीं है। यह भी प्रकट हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा में कार्य ग्रहण कर चुके हैं एवं इस अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 29.02.2024 की पालना में अपीलार्थी भी इसी स्थान पर कार्यरत है। इस प्रकार वर्तमान में अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा में एक ही पद पर दो

लेखा अधिकारी कार्यरत हैं। हमारे समक्ष यह भी स्पष्ट है कि अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा में जो पद है, वह सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय के स्तर का पद है। वर्तमान में दो कार्मिक इस पद पर कार्यरत है। निजी प्रत्यर्थी सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय का पद धारण करता है और इस पद पर नियमानुसार पदस्थापित है। अपीलार्थी की चूंकि पदोन्नति हो गयी है, ऐसे में अपीलार्थी का अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, दौसा में सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–द्वितीय के पद के विरूद्ध पदस्थापन जारी रखा जाना उचित प्रकट नहीं होता है। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी का जिस स्थान पर पदस्थापन किया गया है, वह पद भी अपीलार्थी के स्तर का नहीं है। अपीलार्थी को उस पद पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

6. ऐसी स्थिति में इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के सम्बन्ध में नियमानुसार नये सीरे से पदस्थापन आदेश जारी करें। इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाए। तब तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में इस अधिकरण का अंतरिम स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)